न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 13/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00011

उनवान

1. अमर सिंह
2. उदय सिंह
3. टीकम
4. सुरेश

} पुत्रान भवानी जाति कछवाया नि0 नगला खिरनी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

5. रेशम पुत्री भवानी पत्नी स्व0 ईश्वरी जाति कछवाया निवासी समराया तहसील वैर।
6. सामन्ती पुत्री भवानी पत्नि पपैया जाति कछवाया निवासी समराया तहसील वैर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती चरन देई पत्नी चरन सिंह
2. वीरमती पुत्री चरन सिंह
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र चरन सिंह
4. अशोक कुमार पुत्र चरन सिंह
5. गुड्डी देवी पुत्री चरन सिंह
6. विशना देवी पुत्री चरन सिंह

} जातियान काछी निवासी नगला समाहद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

7. दरव सिंह पुत्र भम्भल जाति काछी निवासी श्रीनगर तहसील रूपवास, भरतपुर।

.... असल रेस्पोडेण्ट

8. एकम पुत्र श्रीपाल
9. देवी सिंह पुत्र विक्रम
10. रामदयाल पुत्र विक्रम
11. लक्ष्मन पुत्र विक्रम
12. बहादुर पुत्र विक्रम
13. रामप्यारी वेवा विक्रम
14. शिवचरन पुत्र काशीराम
15. श्रीमती दुर्गी पुत्री नारायन

} जातियान कछवाया निवासी नगला खिरनी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

16. मुन्नी पुत्री लोहरे
17. श्रीमती बाबूली वेवा लोहरे
18. जसवन्त सिंह पुत्र बाबू
19. नारायन वेवा बाबू
20. किशन सिंह पुत्र सरमन
21. रतन सिंह पुत्र धनपाल
22. जगनी पुत्र सोनी
23. झुन्झुन पुत्री बीधा
24. रेवती पुत्री बीधा
25. पुनिया पुत्री बीधा
26. विजय सिंह पुत्र एकम
27. ठुकरी पुत्र नत्थी
28. मौहर सिंह पुत्र श्री रामरतन
29. धर्म सिंह पुत्र श्री रामरतन
30. बदन सिंह पुत्र श्री रामरतन
31. चन्दन सिंह पुत्र श्री रामरतन
32. धनवन्ती पुत्री रामरतन
33. बर्फी पुत्री रामरतन
34. बुद्धो पुत्री रामरतन
35. समय सिंह पुत्र ख्याली
36. रामदेई पत्नी ख्याली
37. गोपी पुत्र प्यारे
38. लाल सिंह पुत्र मूली
39. मान सिंह पुत्र मूली
40. जबरन सिंह उर्फ भंवर सिंह पुत्र मूली
41. मंगलिया वेवा मूली
42. छोटी वेवा गोपाली
43. राम सिंह पुत्र देवहंस
44. गोपाल पुत्र लोहरे
45. गंगा सिंह पुत्र मवासी
46. लाखन सिंह पुत्र मवासी
47. सुबरन सिंह पुत्र मवासी
48. लच्छो पुत्रीयान मवासी
49. फूलवती पुत्री मवासी

जातियान कछवाया निवासी नगला खिरनी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

50. धर्मराज पुत्र परसादी
51. इन्दर पुत्र परसादी
52. विजेन्द्र पुत्र परसादी
53. छत्तर पुत्र परसादी
54. रामबाबू पुत्र परसादी
55. माया पुत्री परसादी

} जातियान कछवाया निवासी नगला खिरनी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 16.02.2012 प्र.सं. 122/2002 उनवानी भवानी बनाम चरन सिंह।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक—25.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम माडापुरा तहसील रूपवास के वादीगण/अपीलाण्ट एक बैल का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी संवत 2012 के पूर्व से आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। उक्त आराजी वादीगण/अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के पूर्व खातेदार फौंदी व छुटुआ पिसरान झन्डू वहिस्सा बराबर दौ बैल से एक बैल के हिस्से को बतौर काश्त के लिये लिया था तभी से वादीगण/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बतौर शिकमी दर्ज होते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार फौंदी व छुटुआ पिसरान झन्डू का स्वर्गवास लाबल्द बिला औरत फौत हो चुका है तथा उनका कोई जायज वारिस भी नहीं हैं। परन्तु प्रतिवादी/असल रैस्पो0 चरन सिंह ने फर्जकारी तरीके से राजस्व कर्मचारियों से साज कर फौंदी व छुटुआ के हिस्से की आराजी पर स्वयं को गलत तरीके से वारिस बताते हुये अपने हक में इन्द्राज करवा लिये हैं जबकि विवादित आराजी में एक बैल के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी/असल रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार आज तक नहीं रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री

भू प्रबन्ध सचिवकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

किये जाने का निवेदन किया। दौराने दावा प्रतिवादी/रैस्पो0 दरब सिंह पुत्र श्री भम्बल की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर, वादीगण/अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश करते हुये मौखिक कथनों में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाण्ट ने अपने दावे के माध्यम से धारा 88 ,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है एवं खातेदारी की घोषणा करने के लिये राजस्व न्यायालय ही सक्षम है। वयनामा निरस्त करना एक अनुशांगिक रिलीफ है तथा धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में खातेदारी की घोषणा के दावे की सुनवाई का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है। खातेदारी अधिकारो की घोषणा दीवानी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 की ओर से उत्तरवाद प्रस्तुत हो गया था और वाद वास्ते कायमी तनकीयात में नियत था तो आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं था क्योंकि विधिक तनकी को आदेश 14 नियम 02 जा0दी0 के तहत प्रारम्भिक तनकी के आधार पर तय किया जा सकता था अथवा साक्ष्य लेने के उपरान्त क्षेत्राधिकार की तनकी कायम कर तय की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में खण्डाधीन डिक्री व निर्णय अपास्त होने योग्य हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2017(1) पेज 645, 2014(1) पेज 101, 2018(2) पेज 1455, 1329, 2018(1) पेज 534, 2015(1) पेज 100, 474, 2017(2) पेज 605, 2019(1) पेज 43 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने दावे में प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये वयनामा को शून्य व अवैध घोषित करने का अनुतोष चाहा है। वयनामा को शून्य व अवैध घोषित कराने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

वयनामा को शून्य घोषित कराने हेतु केवल दीवानी न्यायालय ही सक्षम है एवं वयनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने से पूर्व अपीलाण्ट का दावा मैन्टेनेबिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुये ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ वयनामा दिनांक 08.10.2001 उपपंजीयक रूपवास को मंसूख किये जानें का अनुतोष चाहा गया है। विक्रय पत्र के विरूद्ध कोई भी राहत अपीलाण्ट वादी सक्षम सिविल न्यायालय से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस बाबत् राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। अतः दावा वादी अपीलाण्ट पोषणीय नही होने के कारण हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना वांछनीय नही पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी का दावा, उचित ही सुनवाई क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण खारिज किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2012 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया ज़ाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Scanned by CamScanner

819

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दाबानो)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या– 13/2012 (223 आर.टी.एक्ट.)
आरसीएमएस संख्या – 2012/00011

1. अमरसिंह
2. उदयसिंह
3. टीकम
4. सुरेश

पुत्रान भवानी जाति कछवाया निवासी नगला खिरनी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

5. रेशम पुत्री भवानी पत्नि स्व0 ईश्वरी जाति कछवाया निवासी समराया तहसील वैर।
6. सामन्ती पुत्री भवानी पत्नि पपैया जाति कछवाया निवासी समराया तहसील वैर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती चरनदेई पत्नि चरण सिंह
2. वीरमती पुत्री चरन सिंह
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र चरन सिंह
4. अशोक कुमार पुत्र चरन सिंह
5. गुड्डी देवी पुत्री चरन सिंह
6. विशना देवी पुत्री चरन सिंह
7. दरब सिंह पुत्र भम्भल जाति काछी निवासी श्रीनगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेंट।

8. एकम पुत्र श्रीपाल
9. देवी सिंह पुत्र विक्रम
10. रामदयाल पुत्र विक्रम
11. लक्ष्मन पुत्र विक्रम
12. बहुादर पुत्र विक्रम
13. रामप्यारी वेवा विक्रम
14. शिवचरन पुत्र काशीराम
15. श्रीमती दुर्गी पुत्री नारायन
16. मुन्नी पुत्री लोहरे
17. श्रीमती बाबूली वेवा लोहरे
18. जसवन्त सिंह पुत्र बाबू
19. नारायन वेवा बाबू
20. किशन सिंह पुत्र सरमन
21. रतन सिंह पुत्र धनपाल
22. जगनी पुत्र सोनी
23. झुन्झनु पुत्री बीधा
24. रेवती पुत्री बीधा
25. पुनिया पुत्री बीधा
26. विजय सिंह एकम
27. ठुकरी पुत्री नत्थी
28. मौहर सिंह पुत्र श्री रामरतन
29. धर्म सिंह पुत्र श्री रामरतन

जातियान कछवाया निवासी नगला खिरनी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

30. बदन सिंह पुत्र श्री रामरतन
31. चन्दन सिंह पुत्र श्री रामरतन
32. धनवन्ती पुत्री रामरतन
33. बर्फी पुत्री रामरतन
34. बुद्वो पुत्री रामरतन
35. समय सिंह पुत्र ख्याली
36. रामदेई पत्नि ख्याली
37. गोपी पुत्र प्यारे
38. लाल सिंह पुत्र मूली
39. मान सिंह पुत्र मूली
40. जबरन सिंह उर्फ भंवर सिंह पुत्र मूली
41. मंगलिया वेवा मूली
42. छोटी वेवा गोपाली
43. राम सिंह पुत्र देवहंस
44. गोपाल पुत्र लोहरे
45. गंगा सिंह पुत्र मवासी
46. लाखन सिंह पुत्र मवासी
47. सुबरन सिंह पुत्र मवासी
48. लच्छो पुत्रीयान मवासी
49. फूलवती पुत्री मवासी
50. धर्मराज पुत्र परसादी
51. इन्दर पुत्र परसादी
52. विजेन्द्र पुत्र परसादी
53. छत्तर पुत्र परसादी
54. रामबाबू पुत्र परसादी
55. माया पुत्री परसादी

} जातियान कछवाया निवासी नगला खिरनी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

......तरतीवी रेस्पोडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रूपवास दिनांक 16.02.2012 प्रकरण संख्या 122/2002 उनवानी भवानी बनाम चरन सिंह।

अपीलांट की ओर से श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अभिभाषक की एंव रेस्पोडेंट की ओर से श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक की उपस्थिति में इस अपील के आज तारीख 25.04.2019 को अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2012 यथावत रखें जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........**25**...........माह.........**04**........सन्..........**2019**.........को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी ... भरतपुर (राज.))

दस्तखत.................................. भू प्रबन्ध अधिकारी

औहदा.................................. पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner